प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भगाराम पुत्र चेनाराम देवासी रॉयल इन्फोटेक,महावीर मार्केट,रामसीन तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर
प्रकरण अपील		8 /2018
कम्प्यूटर आई.डी		2018/00032

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

04.04.2018

अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर का जवाब प्राप्त हुआ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर ने कथन किया कि आवेदित सूचना बाबत अपीलांट का आवेदन पत्र रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है।अतःअपीलांट की अपील अस्वीकार की जावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर के विरूद्ध प्रस्तुत की है।अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 730390 के संलग्न सूचना के अधिकार अधिनियम की 6(1) का आवेदन पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर के कार्यालय में आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना अवगत करवाया है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर) के कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

सही —

(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर